(23)

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 12 – दो/ 2006 विरूद्व आदेश दिनांक 29–11–2005 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 419/1998–99 अपील

महिला पार्वती देवी पत्नि द्वारका प्रसाद
ग्राम चुरहट तहसील चुरहट जिला सीधी ——आवेदक

विरूद्व

ददिया यादव पुत्र देवशरण अहिर
ग्राम चुरहट तहसील चुरहट जिला सीधी ——अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 4 – 10–2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 419/1998–99 अपील में पारित आदेश दिनांक 29–11–2005 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार चुरहट के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 190 के अंतर्गत आवेदन देकर बताया कि उसका भूमि सर्वे कमांक 57 रकबा 1.00 एकड़ पर कब्जा है। इसलिये संहिता की धारा 190 के अंतर्गत मौरूषी कृषक होने से नामांत्रण किया जावे। तहसीलदार ने आदेश पारित करके अनावेदक को उक्त भूमि पर मौरूषी कृषक प्रमाणित होने के आधार पर नामान्तरण के आदेश दिए। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी चुरहट के समक्ष अपील प्रस्तुत की

गई। अनुविभागीय अधिकारी चुरहट ने प्रकरण कमांक 51/98–99 अपील में पारित आदेश दिनांक 23–9–99 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 419/1998–99 अपील में पारित आदेश दिनांक 29–11–2005 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी चुरहट के आदेश दिनांक 23–9–99 को निरस्त कर दिया। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुनना चाहे, किन्तु उनके व्दारा लेखी बहस प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया। उन्हें समय दिया गया, किन्तु आदेश पारित होने के दिन तक लेखी बहस प्रस्तुत न करने के कारण गुणदोष के आधार पर आदेश पारित किया जा रहा है।

4/ निगरानी मेमो के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 29–11–2005 में की गई विवेचना से परिलक्षित है कि खसरा वर्ष 1977–78, 1985–86 , 1988–89, 1990–91 एंव 1993–94 में कैफियत के कालम में अनावेदक का नाम दर्ज है एंव विवादित आराजी पर उसका पक्का मकान बना हुआ है। स्पष्ट है कि अनावेदक का कब्जा वाद विचारित भूमि पर लम्बे अंतराल से है। विचार योग्य है कि यदि अनावेदक व्दारा आवेदक की भूमि पर जबरन कब्जा किया गया होता, निश्चित है कि आवेदक मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अंतर्गत दावा प्रस्तुत करके अथवा धारा 189 के अंतर्गत आवेदन देकर भूमि वापिसी का प्रयास करती, परन्तु विचाराधीन प्रकरण में आवेदक की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अथवा प्रमाण प्रस्तुत करना नहीं पाया गया है इसके विपरीत तहसील न्यायालय में अनावेदक अपना दावा सिद्व करने में सफल रहा

है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 419/1998—99 अपील में पारित आदेश दिनांक 29—11—2005 से अनुविभागीय अधिकारी चुरहट के आदेश दिनांक 23—9—99 को त्रृटिपूर्ण पाये जाने से निरस्त करते हुये तहसीलदार चुरहट के आदेश को यथावत् रखा है जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि परिलक्षित नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 419/1998—99 अपील में पारित आदेश दिनांक 29—11—2005 उचित प्रतीत होने से यथावत् रखा जाता है एंव निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर